न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
03/2015/प्रा.पत्र/2015	20.02.2015	14.09.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .....प्रार्थी

बनाम

1–विक्रेता श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री मिठू लाल जैन उम्र 34 वर्ष जाति महाजन निवासी शार्गीद पेशा बडा कुंआ टोंक जिला टोंक मैसर्स राजू लाल मिठा लाल जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक

2–श्री मिठू लाल जैन पुत्र श्री राजू लाल जैन शार्गीद पेशा बडा कुंआ टोंक प्रोपराईटर मैसर्स राजू लाल मिठा लाल जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक

3–श्री जितेन्द्र धाबाई पुत्र श्री पुषा राम धाबाई नॉमिनी मैसर्स रूची सोया इण्डस्ट्रीज भारत गैस गोदाम के पास, रोड नं. 14, वी. के. एरिया, जयपुर राज.

4–मैसर्स रूची सोया इण्डस्ट्रीज भारत गैस गोदाम के पास, रोड नं. 14, वी. के. एरिया, जयपुर राज.

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।

2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–निर्णय–: **दिनांक 14.09.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.02.2013 को समय 03:00 पीएम पर मैसर्स राजू लाल मिठा लाल जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री मिठू लाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विनोद कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में कागज के कार्टूनों में 200 एम एल पैक की 300 बोतल **कच्ची घाणी सरसों तेल (महाकोश ब्राण्ड)** रखी हुई थी, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री विनोद कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री विनोद कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **कच्ची घाणी सरसों तेल (महाकोश ब्राण्ड)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतेरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पैक्ड अवस्था में आठ मूल पैक बोतल खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कच्ची घाणी सरसों तेल (महाकोश ब्राण्ड)** की आठों पैक्ड बोतलों को दो–दो विभाजित कर चार प्लास्टिक के डिब्बों में दो–दो बोतलें डालकर ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाइट कर एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–448 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–448 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्तेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री मिठू लाल जैन मैसर्स राजू लाल मिठा लाल जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स रूची सोया इण्डस्ट्रीज भारत गैस गोदाम के पास, रोड नं. 14, वी. के. एरिया, जयपुर राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त सरसों तेल क्रय करना बतया। आवेदक द्वारा मैसर्स रूची सोया इण्डस्ट्रीज भारत गैस गोदाम के पास, रोड नं. 14, वी. के. एरिया, जयपुर राज. को पत्र प्रेषित कर सूचना चाही गई जिसके प्रतिउत्तर में मैसर्स रूची सोया इण्डस्ट्रीज ने पत्र प्रेषित कर नॉमिनी का नाम मय फार्म नं. 9 के प्रस्तुत किया व इस फर्म के डायरेक्टर, मालिक एवं पार्टनरों के नाम आवेदक द्वारा श्रीमान् सहायक आयुक्त वाणिज्य कर राज. जयपुर को पत्र प्रेषित कर चाहे गये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा श्रीमान वाणिज्य कर अधिकारी जयपुर को पत्र प्रेषित कर आवश्यक सूचना चाहे जाने के उपरान्त श्रीमान वाणिज्य कर अधिकारी ने पत्र प्रेषित कर मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राईजेज जयसिंहपुरा भूरिया तह. सांगानेर जिला जयपुर के प्रो0 का नाम श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर शर्मा होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./13/1382 दिनांक 01.04.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./31/एफएसएसए /2013/31 दिनांक 06.03.2013 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (महाकोश ब्राण्ड) अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 17.04.2015 को श्री विक्रम जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से दिनांक 10.07.2015 को श्री तेजमल जैन एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेकिंग दी गई थी परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी वकालतनामा पेश नहीं किया और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **कच्ची घाणी सरसों तेल (महाकोश ब्रण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (महाकोश ब्रण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 75,000/– (अक्षरे पचहत्तर हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 5,00,000/– (अक्षरे पांच लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.09.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक